102

श्री महेन्द्र सिंह चौहान एड. ने अपीलपेश की अपील धारा ... पेश हो

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर 31/1/22

45/2022 31.01.22

न्यायालय श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, अजमेर

अपील टी.ए. संख्या 45 / 2022 जिला अजमेर

2022/45

1. बुद्धा पुत्र श्री रामा (मृतक) जरिये वारिसान :–

1/1 पदमसिंह पुत्र श्री बुद्धा

1/2 अहमद पुत्र श्री बुद्धा

1/4 बींजा पुत्र श्री नाथा (मृतक) जरिये वारिसान :–

1/4/1 लक्ष्मण पुत्र श्री बींजा

1/5 लादू पुत्र श्री सकता (मृतक) जरिये वारिसान :–

1/5/1 पेमा पुत्र श्री लादू (मृतक) जरिये वारिसान :–

1/5/1/1 रतन पुत्र श्री पेमा

1/5/1/2 सेवा पुत्र श्री पेमा (मृतक) जरिये वारिसान :–

1/5/1/2/1 रामचन्द्र पुत्र श्री सेवा

1/5/2 हीरा पुत्र श्री लादू (मृतक) जरिये वारिसान :–

1/5/2/1 सोहन पुत्र श्री हीरा

1/5/2/2 मेवा पुत्र श्री हीरा

1/5/3 सुवा पुत्र श्री लादू (मृतक) जरिये वारिसान :–

1/5/3/1 गोमी पत्नि श्री सुवा

1/5/4 छगना पुत्र श्री लादू (मृतक) जरिये वारिसान :–

1/5/4/1 राजी पत्नि श्री छगना

1/5/4/2 गणेश पुत्र श्री छगना

1/5/4/3 दौलत पुत्र श्री छगना

1/6 पन्ना पुत्र श्री मोती (मृतक) जरिये वारिसान :–

1/6/1 धर्मा पुत्र श्री पन्ना

1/6/2 छगना पुत्र श्री पन्ना

1/7 भैरू पुत्र श्री मोती (मृतक) जरिये वारिसान :–

1/7/1 दयाल पुत्र श्री भैरू

1/7/2 राम पुत्र श्री भैरू

1/7/2 लक्ष्मण पुत्र श्री भैरू (मृतक) जरिये वारिसान :–

1/7/2/1 मैथी पत्नि श्री लक्ष्मण

1/7/2/2 गणपत पुत्र श्री लक्ष्मण

1/8 अमरा पुत्र श्री बींजा (मृतक) जरिये वारिसान :–

1/8/1 शंकर पुत्र श्री अमरा

1/8/2 छोटू पुत्र श्री अमरा

1/8/3 शेखी पुत्र श्री अमरा

1/9 उगमा पुत्र श्री घीसा (मृतक) जरिये वारिसान :–

1/9/1 गोरधन पुत्र श्री उगमा

1/9/2 हीरी पत्नि श्री उगमा

1/10 काना पुत्र श्री सुखा (मृतक) जरिये वारिसान :–

1/10/1 देवा पुत्र श्री काना (मृतक) जरिये वारिसान :–

1/10/1/1 शांति पत्नि श्री देवा

1/10/1/2 मनोहर पुत्र श्री देवा

1/11 लाला पुत्र श्री उरजा (मृतक) जरिये वारिसान :–

1/11/1 भीमा पुत्र श्री लाला

1/11/2 मेवा पुत्र श्री लाला

1/11/3 हालू पुत्र श्री लाला (मृतक) जरिये वारिसान :–

1/11/3/1 भागचन्द पुत्र श्री हालू

1/12 रामा पुत्र श्री जवारा (मृतक) जरिये वारिसान :–

1/12/1 मेघा पुत्र श्री रामा

1/12/2 छोटू पुत्र श्री रामा

1/12/3 नारायण पुत्र श्री रामा

समस्त जाति, रावत, निवासी ग्राम बडल्या तहसील व जिला अजमेर।

—— अपीलांट्स

बनाम्

राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार महोदय, अजमेर।

—— रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी महोदय, अजमेर दिनांक 13.1.2022 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 56/2021 बउनवानी बुद्धा जरिये वारिसान बनाम् सरकार।

———

श्रीमान्जी,

अपीलांट्स अपील के संक्षिप्त तथ्यों सहित निम्न निवेदन करते है :–

यह कि वादीगण/अपीलांट्स ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी महोदय, अजमेर के समक्ष एक वाद विरूद्ध प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया तथा वाद के कथनों के आधार पर ही एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट्स की पुश्तैनी/पैत्रक खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात ग्राम बडल्या तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित है जिसका विवरण इस प्रकार से है:–

चौ.ख.नं.	रकबा	व.ख.नं.	रकबा	आ.ख.नं.	रकबा
2925	9–2–0	3682	76–13–0	5286/6012	9.30
				5293	1.30
				5289	0.01
		648	0–6–0	5286/5728	0.19
		649	0–3–0	4703	0.03
				4704	0.16

अजमेर

45/2022/225 बुद्धा (मृतक) ।। पदमचन्द व अन्य V/s राज० सरकार

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नंबर व तारीख अहकाम की तामील जारी हुए
	श्री महेन्द्र सिंह चौहान, एड़वोकेट अपी० श्री	
	बुद्धा बनाम राज.सरकार	
31.1.2022	यह अपील श्री महेन्द्र सिंह चौहान एड़वोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 13.01.2022, प्रकरण संख्या 56/2021 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिस पर अभिभाषक अपीलांट को वास्ते स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस स्थगन प्रार्थना पत्र कथन किया कि अपीलान्ट ने एक वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विरूद्ध प्रतिवादी/रेस्पो0 अन्तर्गत धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया साथ ही एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्टस की पैत्रिक खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात है जो ग्राम बडल्या तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित है। वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 2925 रकबा 9–2–0 बीघा पर अपीलान्टस के पूर्वजों के समय से ही अपीलान्ट्स का कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा उक्त आराजीयात पर अपीलान्ट्स अपने पूर्वजों के समय से निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे हैं। राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना रहन, बय, मुंतकिल किये अपीलान्ट्स की खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात को रेस्पो0 के नाम दर्ज कर दी जबकि वादग्रस्त आराजीयात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने से पूर्व 1349 सन्फसली खतौनी में दर्ज चली आ रही थी। इसके बावजूद वादग्रस्त आराजीयात को रेस्पो0 के नाम दर्ज कर दी। वादग्रस्त आराजीयात बाबत राजस्व कर्मचारियों द्वारा निर्मित खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2015 लगायत 2018, 2020 लगायत 2023, 2024 लगायत 2027, 2030 लगायत 2033, 2034 लगायत 2037 में अपीलान्टस के पूर्वज तथा अपीलान्टस के द्वारा विवादित आराजीयात पर की गई काश्त नियमित रूप से दर्ज है। वादग्रस्त आराजी बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के पश्चात बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ खातेदारी/ काश्तकारी के अधिकार प्राप्त होते है। अपीलान्ट के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के तीनों सिद्धान्त उक्त राजस्व वाद से पूर्णतया साबित होता था। वादग्रस्त आराजीयात वर्तमान में रेस्पो0 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से रेस्पो0 अपीलान्ट्स के कब्जे काश्त में दखलंदाजी उत्पन्न करने तथा बेदखली का नाजायज प्रायास करने तथा अपीलान्ट्स की खातेदारी की आराजीयात को अन्यत्र आवंटन, नियम करने पर सख्त आमादा है जिसमें वह सफल हो गये तो अपीलान्ट्स विवादित अपनी पुश्तैनी खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात से महरूम हो जायेगा जिससे अपीलान्ट्स को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। अतः रेस्पो0 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 11.10.2021 को अपीलान्ट्स की वादग्रस्त आरजीयात बाबत अंतरिम स्थगन आदेश हेतु बहस सुनी जाकर दिनांक 11.10.2021 को अपीलान्टस	निरन्तर

P.T.O.

अपील
45/2022/225 श्री महेन्द्र सिंह चौहान, ए.ए.सी.

2
बुद्धा (मृतक) 1/1 पदमसिंह आदि V/s राज. सरकार

निरन्तर:- को विवादित आराजीयात बाबत अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने का आदेश प्रदान किया। जिसके विरूद्ध अपीलान्टस द्वारा न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की गई जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 21.10.2021 को अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर पुनः उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष उक्त प्रकरण को 30 दिवस में निर्णित किए जाने का आदेश प्रदान कर किया गया था। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आज दिनांक तक अपीलान्ट्स की उक्त पत्रावली बाबत किसी प्रकार का कोई निर्णय पारित नहीं किया गया है। वादग्रस्त आराजियात से अपीलांटस को बेदखल करने एवं रहन, बय, मुन्तकिल करने व खुर्दबुर्द करने पर सख्त आमादा हैं। अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद के साथ प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 पेश कर प्रतिवादीगण/रेस्पो0 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया किन्तु अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांट के उक्त प्रार्थना पत्र पर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही कर, अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने के आदेश दे दिये तथा आगे से आगे तारीख पेशी दी जा रही है। अधी0न्याया0 को वाद के निर्णय तक वादग्रस्त आराजियात की सुरक्षा हेतु अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करना आवश्यक था। रेस्पो0 अधी0न्याया0 के निर्णय की आड़ में अपीलान्टस को विवादित आराजियात से बेदखल करने, रहन, बय व मुन्तकिल करने पर आमादा है यदि अप्रार्थीगण उक्त कृत्य में सफल हो जाते हैं तो अपीलांटस को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी/रेस्पो0 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे ।

हमनें विद्वान अभिभाषक अपीलांटस की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं अधी0न्याया0 के आदेश का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 11.10.2021 को प्रार्थना पत्र पर अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पर अभिभाषक अपीलान्ट को सुन कर यह आदेश जारी किये कि बिना अप्रार्थी को सुने अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है एवं अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने के आदेश दिये जा कर, आगे से आगे तारीख पेशी दी जा रही है। न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को 30 दिवस में निर्णित किये जाने के आदेश दिये थे किन्तु उनके द्वारा फिर भी आदेश जारी नहीं किये गये हैं। विवादित आराजी निर्मित खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2015 लगायत 2018, 2020 लगायत 2023, 2024 लगायत 2027, 2030 लगायत 2033, 2034 लगायत 2037 में अपीलान्टस के पूर्वज तथा अपीलान्टस के द्वारा विवादित आरजीयात पर की गई काश्त नियमित रूप से दर्ज है। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया जाना है किन्तु उभय पक्षकारान के मध्य कृषि भूमि के सम्बन्ध में सद्भाविक विवाद विद्यमान है। इस सम्बन्ध उच्चतर न्यायालयों के विभिन्न न्यायिक दृष्टांत में पारित सिद्धान्त की अवधारणा के अनुसार कृषि भूमि के सम्बन्ध सद्भाविक विवाद मौजूद होने से विवादित आराजी वर्तमान खसरा नम्बर 5286/6012 रकबा 9.30 है. वाकै ग्राम बडल्या तहसील अजमेर के मौके की यथास्थिति रखी जाकर संरक्षित किया जाना न्याय संगत है। न्यायहित में हम पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र में उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा

निरन्तर---2

अपील
45/2024/225 भूरा (मृतक) वा. पदमसिंह वगैरह V/s राज. सरकार
श्री महेन्द्रसिंह चौहान, एडवोकेट

निरन्तर....	212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें। अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील उक्तानुसार निर्णित की जाकर प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0काश्त0अधि0 को 30 दिवस में निर्णित करें। तब तक विवादित आराजी वर्तमान खसरा नम्बर 5286/6012 रकबा 9.30 है. वाकै ग्राम बडल्या तहसील अजमेर के मौके की यथास्थिति रखी जावें। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । (मेघना चौधरी) राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर